प्रकाशन हेतु अनुमोदित.

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः **माननीय न्यायमूर्ति आई.एम. कुद्दुसी एवं**

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

रिट अपील संख्या 60/2007

यूको बैंक एवं अन्य

बनाम

राजेंद्र शंकर शुक्ला

विचारार्थ निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

न्यायाधीश

05-05-2010

माननीय श्री आई.एम. कुद्दुसी, न्यायमूर्तिः

सही/-

आई.एम. कुद्दुसी, न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 07-05-2010

को सूचीबद्ध

सही/-

प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठः **माननीय न्यायमूर्ति आई.एम. कुद्दुसी एवं**

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा

रिट अपील संख्या 60/2007

अपीलार्थीगण यूको बैंक एवं अन्य

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी राजेंद्र शंकर शुक्ला

उपस्थितः

अपीलार्थीगण की ओर से श्री यू.एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री एम.के. सिन्हा अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के.आर. नायर।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंडपीठ पीठ को अपील) अधिनियम, 2006

की धारा 2(1) के अंतर्गत रिट अपील

निर्णय

(दिनांक 07-05-2010 को घोषित किया गया)

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के अनुसार:

अपीलकर्ताओं/बैंक ने यह रिट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका संख्या 3692/2000 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसमें रिट याचिका को स्वीकार करते हुए दिनांक 30-6-1999 (रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-21) के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था जिसमें बैंक की सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मामले के तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि रिट याचिकाकर्ता अपीलकर्ताओं/बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे और सुसंगत समय पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, विस्तार पटल, रायपुर में पदस्थ थे। रिट याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी के संयुक्त व्यक्तिगत और निजी बचत खाते से 3 लाख रुपये की राशि का एक चेक दिनांक 25-1-1991 को उनके भाई श्री वी.के. शुक्ला के पक्ष में जारी किया गया था और दिनांक 6-3-1991 को भुगतान रोकने का निर्देश जारी किया गया था और इसे रिट याचिकाकर्ता के पुत्र के माध्यम से रायपुर स्थित बैंक की मुख्य शाखा में पहुँचाया गया था। आदाता श्री वी.के.शुक्ला ने भुगतान के लिए चेक दिनांक 2-4-1991 को रायपुर शाखा में प्रस्तुत किया और रायपुर शाखा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों ने तुरंत श्री वी.के.शुक्ला की पासबुक में क्रेडिट प्रविष्टि की और रिट याचिकाकर्ता के खाते में निधि की पर्याप्तता के बारे में सत्यापन किए बिना और/या रिट याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान रोकने का कोई निर्देश दिया गया था या नहीं, चेक को उसी दिन रायपुर शाखा में क्रेडिट करने के लिए एक्सटेंशन काउंटर पर भेज दिया। भुगतान रोकने के निर्देश के कारण चेक अनादरित हो गया। उक्त श्री वी.के.शुक्ला ने अपनी पासबुक में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दिनांक 25-1-1991 को अपनी पत्नी के पक्ष में 1 लाख रुपये की राशि का चेक जारी किया, जो श्री वी.के.शुक्ला के

खाते में निधि की कमी के कारण अनादरित हो गया। श्री वी.के. शुक्ला पत्नी के पक्ष में जारी किए गए चेक का भुगतान न किए जाने के कारण, उनके द्वारा बैंक के विरुद्ध एक सिविल वाद प्रस्तुत किया गया। श्री वी.के. शुक्ला ने बैंक को एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक को दिनांक 21-5-1991 के आदेश (रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-5) द्वारा प्रारंभिक जाँच करने का निर्देश दिया गया। इस बीच, रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 19-7-1994 के आदेश (रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-6) द्वारा दिनांक 4-6-1993 से अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया और दिनांक 12-8-1996 के आदेश (रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-7) द्वारा 1-6-1996 से दक्षता अवरोध पार करने की अनुमति दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थीगण/बैंक ने रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 20-5-1998, अर्थात् साढ़े सात वर्ष बाद, निम्नलिखित आरोपों सहित एक आरोप-पत्र जारी किया:

"(1) श्री आर.एस. शुक्ला ने पर्याप्त शेष राशि की कोई व्यवस्था किए बिना और उसे चुकाने के इरादे के बिना, केवल बैंक की कीमत पर अपने रिश्तेदार को सदोष लाभ पहुँचाने के लिए अपने संयुक्त खाते पर एक चेक जारी किया/करवाया। इस प्रकार, वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, जो संशोधित यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियम 3 का उल्लंघन है।

(II) श्री शुक्ला ने अपने पुत्र को आधिकारिक पत्राचार (क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर और उनकी शाखा के बीच आदान-प्रदान) उपलब्ध कराकर, जिसका उल्लेख उन्होंने बाद में अपने द्वारा लिए गए परिवहन ऋण के समझौते के प्रस्ताव में किया, न केवल बैंक के हित के विरुद्ध कार्य किया है, बल्कि जानबूझकर गोपनीय प्रकृति की जानकारी अपने पुत्र को,

जो इसके हकदार नहीं थे, दी है, जो यथा संशोधित यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियम 4 का उल्लंघन है।

(III) एनएससी और एफडीआर पर लागू दरों पर ब्याज का भुगतान किए बिना, अनुमेय राशि से कहीं अधिक, बार-बार ऋण लेकर, श्री आर.एस. शुक्ला अपने कर्तव्यों का निष्ठा, ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करने में विफल रहे हैं। यह कृत्य यथा संशोधित यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976, यथा संशोधित, के विनियम 3 का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दिनांक 22-6-1998 को अपना उत्तर प्रस्तुत करने के पश्चात, रिट याचिकाकर्ता, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, दिनांक 31-1-1999 को बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। जाँच पूरी होने के पश्चात, जाँच अधिकारी ने तीनों आरोपों के संबंध में निम्नलिखित तरीके से अपनी रिपोर्ट दिनांक 7-5-1999 (रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-16) प्रस्तुत की:

"आरोप संख्या (1);

श्री आर.एस. शुक्ला अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने में विफल रहे हैं, जो यथा संशोधित यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियम 3 का उल्लंघन है।

अतः, मैं आरोप संख्या 1 को सिद्ध मानता हूँ।

आरोप संख्या (II):

श्री आर.एस. शुक्ला ने बैंक के हित के कार्य नहीं किया है और न ही अपने पुत्र क. गोपनीय प्रकृति की कोई जानकारी दी है, जो उसके लिए पात्र नहीं है।

अतः, मैं आरोप संख्या 2 को सिद्ध नहीं मानता।

आरोप संख्या (III):

श्री आर.एस. शुक्ला अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से निर्वहन करने में विफल रहे हैं, जो यथा संशोधित यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियम 3 का उल्लंघन है।

अतः, आरोप संख्या 3 सिद्ध होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 30-6-1999 के आदेश (रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी-21) द्वारा आरोप संख्या 1 के संबंध में बैंक की सेवा से बर्खास्तगी, आरोप संख्या 2 के संबंध में मूल वेतन में दो चरणों की कटौती और आरोप संख्या 3 के संबंध में परी निंदा का दंड लगाया। रिट याचिकाकर्ता द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मानते हुए रिट याचिका स्वीकार कर ली कि याचिकाकर्ता का कथित आचरण यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 (जिसे आगे 'आचरण विनियम, 1976' कहा जाएगा) में निहित प्रावधानों के अनुसार कदाचार नही है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी पाया कि रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध जाँच यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत की जा सकती है, न कि यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता दिनांक 31-1-1999 को ही सेवानिवृत्त

हो चुका था, जबकि शास्ति अधिरोपित करने जुर्माना लगाने का आदेश 30-6-1999 को पारित किया गया था। आरोप संख्या 2 और 3 के संबंध में भी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया है कि जब जांच अधिकारी ने आरोप संख्या 2 को सिद्ध नहीं पाया है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने के बाद लघुशास्ति लगाने से पहले रिट याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देना चाहिए था।

7. इस रिट अपील में, अपीलकर्ताओं/बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने आचरण विनियम, 1976 के प्रावधानों की उचित रूप से विवेचन और व्याख्या नहीं की है और आचरण विनियम, 1976 के प्रावधानों की उचित व्याख्या और अनुप्रयोग पर, रिट याचिकाकर्ता का आचरण कदाचार का एक स्पष्ट मामला था क्योंकि उसका आचरण बैंक अधिकारी के अनुरूप नहीं था और उसके संदिग्ध आचरण के कारण, बैंक को कानूनी नोटिस दिया गया था और श्री वी.के. शुक्ला द्वारा एक सिविल वाद दायर किया गया था, जिसने बैंक की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है और इस प्रकार आचरण विनियम, 1976 के विनियम 24 सहपठित विनियम 3 के आधार पर, रिट याचिकाकर्ता पर शास्ति अधिरोपित करना पूरी तरह से उचित था और विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता पर लगाए गए शास्ति के आदेश में हस्तक्षेप करके गलती की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलकर्ताओं/बैंक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***भारतीय स्टेट बैंक और तो आचरण और अन्य बनाम बेला बागची एवं अन्य, एआईआर 2005 एससी 3272*** में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया ताकि यह तर्क दिया जा सके कि सेवानिवृत्ति के बाद भी बर्खास्तगी का आदेश पारित किया जा सकता है, साथ ही इस प्रस्ताव पर भी कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 15 में कहा है कि एक बैंक अधिकारी को जमाकर्ताओं और ग्राहकों के धन के साथ व्यवहार करते समय ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का पालन करना आवश्यक है और बैंक के

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को बैंक के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और परिश्रम के साथ करने और ऐसा कुछ भी न करने की आवश्यकता है जो एक बैंक अधिकारी के लिए अनुचित हो।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि या विकृति नहीं है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. ***भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम बेला बागची एवं अन्य*** (पूर्विकता) मामले में, कर्मचारी ने कथित तौर पर एक खाताधारक से अपने बचत बैंक खाते में जमा करने के लिए धन प्राप्त किया था, लेकिन राशि जमा नहीं की। उसने खाताधारक की पासबुक में एक फर्जी क्रेडिट प्रविष्टि की। यह कृत्य कई बार दोहराया गया। उक्त मामले में, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अप्रैल, 1988 में होनी थी, हालाँकि, अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रहने के दौरान, बैंक ने अपने आदेश दिनांक 22-4-1988 द्वारा कर्मचारी को सूचित किया कि बैंक कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 1-5-1988 से 31-7-1988 तक तीन महीने की अवधि के लिए सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। बाद में, उसे दिनांक 2-7-1988 के आदेश द्वारा बैंक की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि वह विस्तारित अवधि के दौरान बैंक में सेवारत था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार, ***भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम बेला बागची एवं अन्य*** (पूर्विकता) का मामला तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से अलग है। यह अपीलकर्ताओं/बैंक का मामला नहीं है कि दिनांक 31-1-1999 से पहले किसी भी समय, अर्थात रिट याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने के लिए उनकी सेवाओं को बढ़ाने का कोई आदेश पारित किया गया था। ***भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम बेला बागची एवं अन्य*** (पूर्विकता) के मामले में आरोप बेईमानी और सत्यनिष्ठा की कमी के संबंध में भी थे, जबकि वर्तमान मामले में आरोप उनके व्यक्तिगत खाते से

चेक जारी करने और उसके बाद भुगतान रोकने का निर्देश जारी करने के संबंध में है। इस प्रकार, आरोपों की प्रकृति के साथ-साथ सेवाओं के विस्तार के संबंध में, ***भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम बेला बागची एवं अन्य*** (पूर्विकता) का मामला अलग है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

11. ***भारतीय स्टेट बैंक बनाम ए.एन. गुप्ता एवं अन्य (1997) 8 एससीसी 60*** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 16 में यह माना है कि किसी कर्मचारी के बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही की आड़ में कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि सेवा नियमों में सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने का प्रावधान नहीं है। हमारे समक्ष भी, अपीलकर्ताओं/बैंक ने संबंधित सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया है, जो बैंक को रिट याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देता हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. आरोप संख्या 1 के कदाचार से संबंधित तर्क के संबंध में, यह देखा जाना चाहिए कि सुसंगत समय पर रिट याचिकाकर्ता ग्राहकों के किसी खाते से लेनदेन नहीं कर रहा था और न ही जो चेक जारी किया गया था बैंक के किसी अन्य ग्राहक के साथ संबंध या किसी लेनदेन से कोई संबंध था। रिट याचिकाकर्ता, अपने व्यक्तिगत खाते से चेक जारी करते समय स्वयं एक ग्राहक था और इस प्रकार चेक जारी करते समय उसकी स्थिति एक कर्मचारी की नहीं बल्कि एक ग्राहक की थी और इस प्रकार उसे चेक जारी करने और उसके बाद भुगतान रोकने का निर्देश जारी करने का अधिकार था। उसका कार्य या आचरण उसके लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत था और चेक जारी करने और भुगतान रोकने के निर्देश के परिणाम उसे ही भुगतने थे, बैंक को नहीं। यदि रायपुर शाखा में चेक प्रस्तुत करते समय श्री वी.के. शुक्ला की पासबुक में बैंक की रायपुर शाखा के अधिकारियों द्वारा कोई गलत क्रेडिट प्रविष्टि की गई थी, तो गलती रायपुर शाखा में पदस्थ अधिकारियों की थी, न कि रिट याचिकाकर्ता की, जिन्होंने

पहले ही भुगतान रोकने का निर्देश जारी कर दिया था। यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी बैंक का कर्मचारी उस बैंक में खाता खोलने के लिए बाध्य नहीं है जिसमें वह सेवारत है और वह किसी अन्य बैंक में भी अपना खाता खोल सकता है, इस प्रकार, उसके व्यक्तिगत खाते के संचालन के संबंध में उसका संबंध एक बैंकर और ग्राहक का है और इस प्रकार चेक जारी करने और फिर भुगतान रोकने का निर्देश जारी करने का उसका आचरण आचरण विनियमन, 1976 के विनियमन 24 के साथ पठित विनियमन 3 के अर्थ में कदाचार नहीं माना जाता है।

13. हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं मिलता। इस प्रकार रिट अपील, अतः, विफल होती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

न्यायाधीश/-

आई.एम. कुद्दुसी न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायाधीश/-

प्रशांत कुमार मिश्रा न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smriti Shrivastava (Advocate)